संचिका सं०–17 / कोर्ट–74 / 2011
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ई-मेल / निबंधित

सेवा मे,

डा० अनिल शांडिल्य,
प्राध्यापक, एफ० एम० टी० विभाग,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

पटना, दिनांक– / /2026

विषय :– **नगर थाना काण्ड संख्या–368 / 13 दिनांक–17.08.2013, सत्रवाद संख्या–46 / 2014 सरकार बनाम बूटा पासवान, धारा 302, भा० द० वि० एवं Sc/St Act में गवाही / साक्ष्य देने हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश, औरंगाबाद के न्यायालय कक्ष में उपस्थित होने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विशेष लोक अभियोजक, एस०सी० / एस०टी० (पी०ओ०ए०) एक्ट, औरंगाबाद के पत्रांक–93 / 26 दिनांक–21.05.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि नगर थाना काण्ड संख्या–368 / 13 दिनांक–17.08.2013, सत्रवाद संख्या–46 / 2014 सरकार बनाम बूटा पासवान, धारा 302, भा० द० वि० एवं Sc/St Act के अन्तर्गत माननीय विशेष न्यायाधीश, औरंगाबाद के न्यायालय में सुनवाई दिनांक–17.06.2026 को निर्धारित है।

अतः निदेशित है कि उक्त वाद में गवाही / साक्ष्य देने हेतु माननीय विशेष न्यायाधीश, औरंगाबाद के न्यायालय कक्ष में निर्धारित सुनवाई की तिथि–17.06.2026 को अचूक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह० / –
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17 / कोर्ट–74 / 2011– 679/(17) **पटना, दिनांक–** 10 / 06 **/2026**

प्रतिलिपि :– शक्ति कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, एस०सी० / एस०टी० (पी०ओ०ए०) एक्ट, औरंगाबाद (बिहार), मो० न०–9934233954 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही अनुरोध है कि संबंधित चिकित्सक शिक्षक को अपने स्तर से भी निदेशित करना चाहेंगे।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर / प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधित को ई०–मेल के माध्यम से सूचना देने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

पत्रांक :— 93/26 दिनांक :—21.05.26

प्रेषक :— शक्ति कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक
अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
औरंगाबाद (बिहार)

सेवा में,

स्वास्थ सचिव महोदय
स्वास्थ विभाग
बिहार सरकार पटना (बिहार)

विषय :— नगर थाना काण्ड संख्या— 368/13 दिनांक 17.08.2013 सत्रवाद संख्या— 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO) PMCH Patna** द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन यह कि नगर थाना काण्ड संख्या— 368/13 सत्रवाद सं0— 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 I.P.C एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल (MO) PMCH Patna, जो एक महत्वपूर्ण साक्षी है बार—बार नोटिस (सुचना) करने के बावजूद माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। उपरोक्त वाद काफी पुराना हो चुका है सिर्फ डॉ0 साक्ष्य हेतू लंबित है। उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल के द्वारा **PMCH** पटना में 18.08. 2013 को पोस्टमार्टम किया गया।

नोट :— सिविल सार्जन महोदय के औरंगाबाद कार्यालय द्वारा मेरे नोटिस (सुचना) का अनुपालन नहीं किया जाता है. संबंधित डॉ0 तक नोटिस (सुचना) नहीं पहूंच पाता है। इसलिए अभियोजक को छति (हानि) पहुँचाती है। मा0 न्यायालय के द्वारा अभियोजन पर जुर्माना लगाया जाता है। जो राज्य के लिए न्याय उचित नहीं है।

अगली तिथि :—

17.06.2026

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल को अगली तिथि 17.06. 2026 को माननीय विशेष न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय ताकि पिड़ित को समय पर उचित न्याय मिल सके।

21.05.26

आपका विश्वासभाजन
शक्ति कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक
अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1969 औरंगाबाद (बिहार)
दिनांक— 21.05.26

मो0 नं0— 9934233954

प्रतिलिपि —

1. सिविल सर्जन महोदय
औरंगाबाद (बिहार)
2. अस्पताल अधीक्षक महोदय
पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल **PMCH** पटना (बिहार)

पत्रांक – 97/26 दिनांक – 21.05.26

(346)

प्रेषक – शक्ति कुमार सिह

विशेष लोक अभियोजक

अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

औरंगाबाद (बिहार)

सेवा में,

अस्पताल अधीक्षक महोदय्

पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिल (PMCH)

पटना (बिहार)

विषय :– नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 दिनांक 17.08.2013 सत्रवाद संख्या– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** **PMCH Patna** द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 सत्रवाद संख्या– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 **I.P.C** एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** **PMCH Patna,** जो एक महत्वपूर्ण साक्षी है बार–बार नोटिस करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल के द्वारा **PMCH Patna** में 17.08.2013 को पोस्टमार्टम किया गया।

अगली तिथि :–

17.06.2026

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** को अगली तिथि 17.06.2026 को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय ताकि पिड़ित को उचित न्याय मिल सके।

21.05.26

आपका विश्वासभाजन
शक्ति कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक
अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
औरंगाबाद (बिहार)
दिनांक– 21.05.26
मो0 नं0– 9934233954

प्रतिलिपि –

1. स्वास्थ सचिव
   स्वास्थ विभाग
   बिहार सरकार पटना (बिहार)
2. सिविल सर्जन महोदय
   औरंगाबाद (बिहार)

प्रेषक :— शक्ति कुमार सिंह

विशेष लोक अभियोजक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरगाबाद (बिहार)

(345)

सेवा मे्

सिविल सर्जन

सदर अस्पताल औरंगाबाद (बिहार)

विषय :— सत्रवाद सं० .... सरकार बनाम ....

थाना कांड स०— .... धारा— ...., भा० द० वि० मे

डॉक्टर को गवाहों हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त वाद माननीय विशेष न्यायाधीश औरंगाबाद के न्यायालय में डॉक्टर की गवाही हेतु बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है। डॉक्टर की गवाही न्यायाल के समक्ष अति आवश्यक है। अतः आग्रह कि डॉक्टर की गवाही हेतु अपने स्तर से संबंधित डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिया जाय कि निर्धारित तिथि....................................... को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दें।

साक्षियों का नाम

विश्वासभाजन

विशेष लोक अभियोजक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरंगाबाद (बिहार)

मो:— 9934233954

प्रेषक :— शक्ति कुमार सिंह

विशेष लोक अभियोजक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरंगाबाद (बिहार)

सेवा मे्

सिविल सर्जन

सदर अस्पताल औरंगाबाद (बिहार)

विषय :— सत्रवाद सं० .... सरकार बनाम ....

थाना कांड सं०— .... धारा— ...., भा० द० वि० में

डॉक्टर को गवाहों हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त वाद माननीय विशेष न्यायाधीश औरंगाबाद के न्यायालय में डॉक्टर की गवाही हेतु बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है। डॉक्टर की गवाही न्यायाल के समक्ष अति आवश्यक है। अतः आग्रह कि डॉक्टर की गवाही हेतु अपने स्तर से संबंधित डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिया जाय कि निर्धारित तिथि.................................. को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दें।

साक्षियों का नाम

विश्वासभाजन

विशेष लोक अभियोपक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरंगावाद (बिहार)

POSITION	S.NO	MCH	NAME	D.O.B	DEPARTMENT NAME	CADRE (BHS,PGS,PGO)	AGE ON 01.10.2020	APPOINTMENT ORDER & DATE	JOINING DATE
Associate Professor	181	JNKTMCH	DR. ANIL SHANDIL	8/1/1969	FMT	REGULAR	50Y 5M	171(17)Dt-09-03-2019	3/12/2019

पत्रांक :– 93/26 दिनाक :– 21.05.26

प्रेषक :– शक्ति कुमार सिह
विशेष लोक अभियोजक
अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
औरंगाबाद (बिहार)

सेवा में,

स्वास्थ सचिव महोदय
स्वास्थ विभाग
बिहार सरकार पटना (बिहार)

विषय :– नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 दिनांक 17.08.2013 सत्रवाद संख्या– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO) PMCH Patna** द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन यह कि नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 सत्रवाद सं0– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 **I.P.C** एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO) PMCH Patna,** जो एक महत्वपूर्ण साक्षी है बार–बार नोटिस (सुचना) करने के बावजूद माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। उपरोक्त वाद काफी पुराना हो चुका है सिर्फ डॉ0 साक्ष्य हेतू लंबित है। उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल के द्वारा **PMCH** पटना में 18.08.2013 को पोस्टमार्टम किया गया।

नोट :– सिविल सार्जन महोदय के औरंगाबाद कार्यालय द्वारा मेरे नोटिस (सुचना) का अनुपालन नहीं किया जाता है, संबंधित डॉ0 तक नोटिस (सुचना) नहीं पहूंच पाता है। इसलिए अभियोजक को छति (हानि) पहुँचाती है। मा0 न्यायालय के द्वारा अभियोजन पर जुर्माना लगाया जाता है। जो राज्य के लिए न्याय उचित नहीं है।

अगली तिथि :–

17.06.2026

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल को अगली तिथि 17.06.2026 को माननीय विशेष न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय ताकि पिड़ित को समय पर उचित न्याय मिल सके।

21.05.26

आपका विश्वासभाजन
शक्ति कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक
अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1969 औरंगाबाद (बिहार)
दिनांक– 21.05.26

मो0 नं0– 9934233954

प्रतिलिपि –

1. सिविल सर्जन महोदय औरंगाबाद (बिहार)
2. अस्पताल अधीक्षक महोदय पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल **PMCH** पटना (बिहार)

पत्रांक – 97/26 दिनांक 21.05.26

(346)

प्रेषक – शक्ति कुमार सिह

विशेष लोक अभियोजक

अनु0 जाति/अनू0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

औरंगाबाद (बिहार)

सेवा में,

अस्पताल अधीक्षक महोदय्

पटना मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिल (PMCH)

पटना (बिहार)

विषय :– नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 दिनांक 17.08.2013 सत्रवाद संख्या– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** **PMCH Patna** द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि नगर थाना काण्ड संख्या– 368/13 ~~संत्रावाद~~ संख्या– 46/14 सरकार बनाम बूटा पासवान धारा 302 I.P.C एवं **Sc/St Act** में साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** **PMCH Patna**, जो एक महत्वपूर्ण साक्षी है बार–बार नोटिस करने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल के द्वारा PMCH Patna में 17.08.2013 को पोस्टमार्टम किया गया।

अगली तिथि :–

17.06.2026

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त वाद के साक्षी डॉ0 अनिल शैडिल **(MO)** को अगली तिथि 17.06.2026 को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाय ताकि पिड़ित को उचित न्याय मिल सके।

प्रतिलिपि –

1. स्वास्थ सचिव
   स्वास्थ विभाग
   बिहार सरकार पटना (बिहार)
2. सिविल सर्जन महोदय
   औरंगाबाद (बिहार)

21.05.26

आपका विश्वासभाजन

शक्ति कुमार सिंह

विशेष लोक अभियोजक

अनु0 जाति/अनु0 जनजाति (आत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

औरंगाबाद (बिहार)

दिनांक– 21.05.26

मो0 नं0– 9934233954

प्रेषक – शक्ति कुमार सिंह
विशेष लोक अभियोजक
एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट
औरंगाबाद (बिहार)

(345)

सेवा मे

सिविल सर्जन
सदर अस्पताल औरंगाबाद (बिहार)

विषय – सत्रवाद सं० .... सरकार बनाम ....
थाना कांड स०– .... धारा– ...., भा० द० वि० में डॉक्टर को गवाही हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त वाद माननीय विशेष न्यायाधीश औरंगाबाद के न्यायालय में डॉक्टर की गवाही हेतु बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है। डॉक्टर की गवाही न्यायाल के समक्ष अति आवश्यक है। अतः आग्रह कि डॉक्टर की गवाही हेतु अपने स्तर से संबंधित डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिया जाय कि निर्धारित तिथि.. को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दें।

साक्षियों का नाम

विश्वासभाजन
विशेष लोक अभियोजक
एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट
औरंगाबाद (बिहार)
मो:– 9934233954

प्रेषक :— शक्ति कुमार सिंह

विशेष लोक अभियोजक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरंगाबाद (बिहार)

सेवा मे्

सिविल सर्जन

सदर अस्पताल औरंगाबाद (बिहार)

विषय :— सत्रवाद सं० .... सरकार बनाम ....

थाना कांड सं०— .... धारा— ...., भा० द० वि० में

डॉक्टर को गवाहों हेतु प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त वाद माननीय विशेष न्यायाधीश औरंगाबाद के न्यायालय में डॉक्टर की गवाही हेतु बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है। डॉक्टर की गवाही न्यायाल के समक्ष अति आवश्यक है। अतः

आग्रह कि डॉक्टर की गवाही हेतु अपने स्तर से संवंधित डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिया जाय कि निर्धारित तिथि.................................... को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दें।

साक्षियों का नाम

विश्वासभाजन

विशेष लोक अभियोपक

एस० सी०/ एस० टी० (पी० ओ० ए०) एक्ट

औरंगाबाद (बिहार)

PO[illegible]ION	S.NO	MCH	NAME	D.O.B	DEPARTMENT NAME	CADRE (BHS,PGS,PGO)	AGE ON 01.10.2020	APPOINTMENT ORDER & DATE	JOINING DATE
Associate Professor	181	JNKTMCH	DR. ANIL SHANDIL	8/1/1969	FMT	REGULAR	50Y 5M	171(17)Dt-09-03-2019	3/12/2019